L. C. BILL No. II OF 2026.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक २ सन् २०२६।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधि विधेयक।

सन् १९६६ का महा. ४१।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू- राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में , एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू- राजस्व संहिता, (संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २२ क में संशोधन।

२. महाराष्ट्र भू- राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे, "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा २२क की, उप-धारा (७) के पश्चात् निम्न उप-धारा जोडी जाएगी, अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ४१।

"(८) नगर निगम या नगर परिषद के क्षेत्र के भीतर समावेशित **गायरान** भूमि, जिसके लिए अंतिम विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, १९६६ के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित की है, ऐसी अंतिम विकास योजना में ऐसी भूमि के लिए पदाभिहित प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की पुर्वानुमति से उपयोग में लाई जाएगी।"। सन् १९६६ का महा. ३७।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २३० में संशोधन।

३. उक्त संहिता की धारा २३० की उप-धारा (१) में,— सन् १९६६ का महा. ४१।

(१) "डाक द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा के ज़रिए" शब्द निविष्ट किए जायेंगे;

(२) निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु, ऐसी सूचना ऐसे प्रारुप में और ऐसी रित्या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा भी तामिल की जा सकेगी जिसे, राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करें।"।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

गायरान भूमि यह भूमि ग्राम पशु (चरागाह) के मुफ्त चराई के लिए विशेष रुप से पदाभिहित की है। **गायरान** भूमि महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) की धारा २२क में यथा विनिर्दिष्ट सख्त विनियमों के अध्यधीन लोक परियोजनाओं को छोडकर या यदि कोई अन्य यथोचित भूमि उपलब्ध नहीं होती है को छोडकर विशेष रूप से संरक्षित है और अन्य प्रयोजनों के लिए अपवर्तन या पट्टेपर नहीं दी जा सकेगी।

२. समयावधि कै दौरान **गायरान** भूमि शहरों से और अन्य विकसित नगर क्षेत्रों से संलग्न हो गई तथा दिर्घकाल से पशु को मुफ्त चरागाह के लिए उपयोग में नही आ रही है। तथापि, ऐसी भूमि के अधिकारों के अभिलेख में यह भूमि **गायरान** भूमि के रुप में दिखाती है। यह भी ध्यान में आया है कि, शहर क्षेत्रों में ऐसी **गायरान** भूमि, महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ३७) के अधीन अपनाई गई सम्य्क प्रक्रिया के पश्चात् योजना प्राधिकरणों द्वारा तैयार किए गए अंतिम विकास योजना में आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन के लिए पदाभिहित की है। किसी अंतिम विकास योजना में ऐसे गायरान भूमि के समावेश के पश्चात् ऐसी भूमियों का उपयोग, ऐसी योजना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुज्ञेय होगी।

३. संतोष मधुकर भोंडवे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (सन २०२१ की रीट याचिका क्र. ३०९८) के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम १९६६की धारा ३४ और ३५ के अधीन भूमि विषय के संबंध में प्रतिवादी क्र. ४ द्वारा तैयार की गई विकास योजना में विहित भूमि उपयोग परिचालित हो जाएगा तथा प्रयुक्त हो जाएगा तथा **गायरान** भूमि के रूप में विषयांकित भूमि का उपयोग प्रत्याशित हो जाएगा। उक्त न्यायनिर्णय में इससे आगे यह भी निर्णय दिया है कि यदि किसी भूमि का उपयोग, नगर निगम में उसके समावेशन के पूर्व नगर निगम द्वारा तैयार की गई विकास योजना में विहित उपयोग से अन्य है नगर सीमाओं मे उसके समावेशन के पश्चात् प्रारम्भ का उपयोग कर्ता अननुज्ञेय है।

उपर्युक्त को देखते हुए, महाराष्ट्र सरकार, अंतिम विकास योजना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसी **गायरान** भूमि का उपयोग राज्य सरकार की पुर्वानुमति से कर्णा संभव दो के लिए, उक्त संहिता की धारा २२क में संशोधन करना इष्टकर समझती है।

४. उक्त संहिता की धारा २३० यह उपबंध करती है कि, उक्त संहिता के अधीन की प्रत्येक नोटीस उसकी प्रत या तो टेडरिंग या परिदान करने द्वारा या जिसे वह तामिल की जानेवाली है उस व्यक्ति को डाक द्वारा ऐसी प्रत भेजकर तामिल की जा सकेगी।

विभिन्न राजस्व मामले जैसे कि राजस्व, प्रभार, दावे, का निर्धारण, अधिकारों के अभिलेख में परिवर्तन अपीलों का निर्धारण और प्रक्रियोओं का पुनरीक्षण आदी में नोटीस के विभिन्न प्रकार उक्त संहिता के अधीन राजस्व प्राधिकरणों द्वारा व्यक्तियों को जारी किए है। तथापि, विभिन्न कारणों के लिए जैसा कि, उक्त संहित के अधीन तामिल किए जानेवाले नोटीसों की बड़ी संख्या अपर्याप्त पता, पक्षकार द्वारा नोटीस की अस्वीकृति आदि से राजस्व प्राधिकऱणों द्वारा जारी नोटीस समयबद्ध रीत्या में संबंधित पक्षकार को तामिल नही हो सकी। फलस्वरुप, राजस्व प्रक्रिया विलंबित होगी और विनिर्णय प्रदीर्घ जारी रहेंगे।

५. उक्त संहिता के अधीन संबंधित पक्षकार को नोटीस समय पर तथा उचित सेवा सुनिश्चित करने तथा राजस्व प्रक्रियाओं का शीर्घ निपटान सुकर करने के लिए, उक्त संहिता में नोटीस की तामिल की विद्यमान प्रणाली के साथ-साथ नोटीस की तामिल इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवाओं द्वारा करने या जैसा कि विहित किया जाए ऐसे कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा देने के लिए विशेष रुप से उपबंध करना इष्टकर समझा है।

उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने उक्त संहिता की धारा २३० में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित किया है।

६. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २८ फरवरी, २०२६।

चंद्रशेखर बावनकुळे,
राजस्व मंत्री।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २८ फरवरी, २०२६।

डॉ. विलास आठवले,
सचिव-३,
महाराष्ट्र विधानपरिषद।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात्, :—

खण्ड ३ (२).—इस खण्ड के अधीन नोटीस तामिल करने के कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का नियमों द्वारा उपबंध करने तथा उसका प्ररुप और रीति के लिए भी उपबंध करने के अधिकार राज्य सरकार को दिए गए है।

२. विधायीशक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.